

विभाजन वर्तमान जमावती
 में दर्ज शक्रेदारों से हिरसे व मोंरे पर
 काबिज कुसुमार डिके जाने के लिए ए विभाजन
 हेतु प्रारंभिक डिकी जारी करने का आदेश
 दिच जाता है। तदनुसार प्रारंभिक डिकी
 जारी की गयी। श्री. डी. श्री. श्री. परिपालना
 हेतु तहसीलदार कुम्भलगढ से भेजी
 जावे। तहसीलदार कुम्भलगढ पालना
 (मि. जवादे) पत्रावली P.O. श्री पालना
 इतरजती से दिनांक 24-7-17 को पेश की।



सहायक कलेक्टर
 (ए. ए. ओ.) कुम्भलगढ
 जिला-राजसमन्द

24-7-17 पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार कुम्भलगढ से प्रारंभिक
 डिकी की पालना से विभाजन फहरिस्त व नक्शा ट्रेस
 प्राप्त हुए। प्राप्त विभाजन फहरिस्त व नक्शा ट्रेस पर
 कोई आपत्ती पेश नहीं होने से रवीकार किये जाते
 हैं। विभाजन फहरिस्त व नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व
 रेकर्ड में अंकन किये जाने का आदेश दिया जाता है।
 तदनुसार डिकी पर्या जारी हो। पालना हेतु डिकी
 व स्वीकृत विभाजन फहरिस्त व नक्शा ट्रेस तहसीलदार
 कुम्भलगढ को भेजा जावे। पत्रावली फेसल शुमार लेकर
 नंबर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर
 (ए. ए. ओ.) कुम्भलगढ
 जिला-राजसमन्द